

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

खाँ पिता अब्दुल खाँ निवासी हथोडिया .
बनाम

कल्याण पिता छोगा मीणा निवासी हथोडिया, वगैरह

किरम मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
23/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम हथोडिया प.ह. बिहाडा आराजी सं., 181/2, 181/3 335/2, 335/4, 336/1 408/1, 410/2, 85, 88, 89, 92, कुल किता 07 रकबा 12.3593 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया कुल किता 07 रकबा 1.1899 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम हथोडिया प.ह. बिहाडा आराजी सं., 181/2, 181/3 335/2, 335/4, 336/1 408/1, 410/2, 85, 88, 89, 92, कुल किता 07 रकबा 12.3593 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 6000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 1000रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 23/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 23/05/2024

क्रमांक/सीडर/2024/318/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.स. 38/2024 अनवान हफीज खॉ पिता अब्दुल खॉ निवासी हथोडिया
बनाम कल्याण पिता छोगा मीणा निवासी हथोडिया, जलालुद्दीन पिता केसर खॉ
निवासी हथोडिया, जमना पिता देवलाल मीणा निवासी हथोडिया, नरेन्द्रसिंह पिता
नाहरसिंह राजपुत निवासी हथोडिया, कल्याणसिंह पिता जालमसिंह राजपुत
निवासी हथोडिया, रामराज पिता बगतावर मीणा निवासी अखेपुरा रोडसिंह पिता
जालमसिंह राजपुत निवासी हथोडिया जहाजपुर बगौरह की पत्थरगढी की पालना
बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम हथोडिया प.ह.
बिहाडा आराजी सं., 181/2, 181/3 335/2, 335/4, 336/1 408/1, 410/2, 85, 88,
89, 92, कुल किता 07 रकबा 12.3593 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी
करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर
फीस 6000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 1000 रुपये
राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया
जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की
उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा